STATE BANK OF INDIA OFFICERS' ASSOCIATION (LUCKNOW CIRCLE)

Work is Worship

Registered Under Trade Union Act 1926 Registration No. 9488 (U.P.)
(Affiliated to ALL INDIA STATE BANK OFFICERS' FEDERATION)
8th Floor, State Bank of India, Administrative Building, SBI LHO, Moti Mahal Marg, Hazratganj, Lucknow - 226 001

DATE : - 27.09.2021

परिपत्र संख्या-2021/03

साथियों,

आपको अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.2021 को आयोजित मण्डल निगोशियेटिंग बैठक में रविवार व अवकाश के दिन कार्य करने के विषय में विस्तृत चर्चा हुई । उक्त विषय पर CMC ने स्पष्ट किया कि इस बात की पूरी सम्भावना है कि आगामी अवकाश के दिनों में कार्य करना पड़े । लेकिन CMC ने यह भी स्पष्ट किया कि रविवार व अवकाश के दिनों को कार्य हेतु बुलाने की कार्यविधि बैंक के e-circular no. CDO/P&HRD-PM/96/2020-21 दिनांक 26.03.2021 में वर्णित नियमों के अनुसार ही रहेगी। उन्होने आदेश दिया कि रविवार तथा / अथवा अवकाश के दिन बुलाने के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक उचित आदेश अवश्य पारित करें । उक्त सर्कुलर संख्या CDO/P&HRD-PM/96/2020-21 दिनांक 26.03.2021 में वर्णित Restrictions जैसे माह में अधिकतम 04 दिवस एवं त्रिमाह में अधिकतम 08 दिवस की सीमा का कड़ाई से पालन किया जाये । सर्कुलर के अनुसार अवकाश के दिन का रु0 2000/- प्रतिदिन के दर से भुगतान करना सुनिश्चित करना चाहिए । इस संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि हमारी सेवा शर्तें अवकाश के दिन कार्य करने के एवज में हमें एक दिन का प्रतिपूर्ति अवकाश का अधिकार भी प्रदान करती है ।

अत: समस्त साथियों से अनुरोध है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा रविवार तथा / अथवा अवकाश के दिन बुलाये जाने के स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय से उचित कार्यालय आदेश की मांग करें । बिना उचित कार्यालय आदेश में शाखा न आयें । उक्त सर्कुलर के अनुरूप रु0 2000/- प्रतिदिन के भुगतान हेतु claim जमा करें एवं अगले सप्ताह में अपनी सुविधानुसार एक दिवस का Compensatory अवकाश का HRMS में निवेदन करें ।

साथियों, रविवार एंव अवकाश के दिनों में कार्य को कम करने के लिए अवकाश के दिन का भुगतान एवं Compensatory Off अवश्य लें ।

आपका साथी,

भवदीय,

(पवन कुमार)
महामंत्री